कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर

(नजारत अनुभाग)

सूचना

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए जनपद न्यायालय, बलरामपुर के पुराना न्यायालय परिसर में फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड की खुली नीलामी दिनांक 28.02.2025 समय 04:30 बजे सांय नवीन न्यायालय परिसर के मीटिंग हाल में की जानी है। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना आवेदन 27.02.2025 तक सांय 05 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग जजी बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के सन्दर्भ में खुली नीलामी हेतु बायलॉज संलग्न कर दिये गये है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–256/78––2–2018–42आई0टी0/2017टी0सी0 के अन्तर्गत वित्त (लेखा) अनुभाग–1, उ0प्र0 के शासनादेश संख्या ए–1–864/दस–08–15(1)/86 दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अनुरूप रू 1,00,000/– से अधिक मूल्य के सामान/सेवायें टेण्डर आमंत्रित करने की निविदाओं के लिये सीमा बढाकर 10,00,000/– रूपये कर दिया गया। फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड के लिये बुक मूल्य 10,00,000/– रूपये से कम है।

अतः ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर खुली नीलामी नोटिस डाले जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

जनसाधारण की सूचना हेतु उपरोक्त नोटिस http://www.allahabadhighcourt.in/ तथा https://districts.ecourts.gov.in/balrampur पर विस्तृत जानकारी को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त अपलोड कर दिया जायेगा।

जनसाधारण की सूचना हेतु संलग्नक नोटिस दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रेषित कर दिये जायेगें।

<u>आदेश की प्रतिलिपि निम्न सूचना पटों पर चस्पा कराया जाए</u> :–

1. जनपद न्यायालय, बलरामपुर,
2. जिलाधिकारी, बलरामपुर, तहसील, बलरामपुर,
3. लोक निर्माण विभाग (प्रान्तीय खण्ड), बलरामपुर,
4. रोडवेज बस स्टेशन, बलरामपुर,
5. रेलवे स्टेशन (झारखण्डी), बलरामपुर,
6. विकास भवन, बलरामपुर के सूचना पटो पर चस्पा किया जाए।
7. जिला सूचना अधिकारी बलरामपुर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. सिस्टम ऑफीसर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय बलरामपुर की बेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

दिनांक–13.02.2025

(अतुल कुमार नायक)
सदस्य, नीलामी समिति/अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर।

(अनूप कुमार पाण्डेय)
सदस्य, नीलामी समिति/ सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर।

(सुमित प्रेमी)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर।

<u>जनपद न्यायालय, बलरामपुर के पुराना न्यायालय परिसर में स्थित फोटो ग्राफी और फोटो स्टेट शेड के नीलामी हेतु गठित समिति की बैठक दिनांकित 13.02.2025 का कार्यवृत्त।</u>

माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर के द्वारा प्रशासनिक आदेश संख्याः18/2025 दिनांकितः 28.01.2025 से जनपद न्यायालय बलरामपुर के पुराना न्यायालय परिसर में स्थित फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड का ठेका के आवंटन हेतु समिति गठित की गयी। तद्नुसार आज दिनांक 13.02.2025 को श्री सुमित प्रेमी, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर, अध्यक्ष नीलामी समिति के विश्राम कक्ष में सायं 04:30 बजे बैठक हुई, जिसमें श्री अनूप कुमार पाण्डेय, सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर, सदस्य नीलामी समिति तथा श्री अतुल कुमार नायक, अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर सदस्य नीलामी समिति द्वारा भाग लिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी परिपत्र संख्या–4004/एडमिन (बी–1) अनुभाग दिनांकित 21.12.1992 तथा परिपत्र संख्या–797/एडमिन (बी–1) अनुभाग दिनांकित 15.03.1994 के अनुसार अधिकतम स्वीकृत नीलामी धनराशि को इस वर्ष की नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि के रूप में लिया जायेगा, किन्तु फोटो ग्राफी शेड को वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024 तथा 2024–2025 मे ठेका लेने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। इसलिए समिति के मत में फोटो ग्राफी शेड की न्यूनतम बोली की बुक वैल्यू वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए शून्य हो गई है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–2020 में फोटो ग्राफी शेड की नीलामी के लिए जो न्यूनतम वैल्यू निधार्रित थी उसी को वित्तीय वर्ष 2025–2026 की बुक वैल्यू मानकर नीलामी की प्रकिया शुरू की जा सकती है। इस प्रकार से वित्तीय वर्ष 2019–2020 की न्यूनतम धनराशि रूपये 34,000/–(चौतीस हजार) को इस वर्ष की नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि के रूप में लिया जा सकता है। इसी प्रकार फोटो स्टेट शेड को वित्तीय वर्ष 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024 तथा 2024–2025 मे ठेका लेने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। इसलिए समिति के मत में फोटो स्टेट शेड की न्यूनतम बोली की बुक वैल्यू वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए शून्य हो गई है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2020–2021 में फोटो स्टेट शेड की नीलामी के लिए जो न्यूनतम वैल्यू निधार्रित थी उसी को वित्तीय वर्ष 2025–2026 की बुक वैल्यू मानकर नीलामी की प्रकिया शुरू की जा सकती है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2020–2021 की न्यूनतम आरक्षित धनराशि रूपये 38,100/–(अड़तीस हजार एक सौ) को इस वर्ष की नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि के रूप में लिया जा सकता है, तथा यदि इस वर्ष की अधिकतम बोली न्यूनतम आरक्षित धनराशि से कम होगी तो ऐसी परिस्थिति में मामले को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुमोदन हेतु संदर्भित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड का ठेका की नीलामी हेतु नियम व शर्ते (संलग्नक–1) प्रस्तावित की जा रही है।

अतः इस बैठक की कार्यवृत्त को संलग्नक सहित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को प्रेषित करते हुए यह अनुरोध किया जा रहा है कि संलग्नक में प्रस्तावित नियम व शर्तों को अनुमोदित करने के सम्बन्ध में आदेश पारित करने की कृपा करें, ताकि नियम व शर्तों की सूचना समस्त सूचना पटल पर चस्पा की जा सके तथा कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क विज्ञप्ति प्रकाशन भी कराया जा सके।

जनसाधारण की सूचना हेतु उपरोक्त नोटिस http://www.allahabadhighcourt.in/ तथा https://districts.ecourts.gov.in/balrampur पर विस्तृत जानकारी को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के उपरान्त अपलोड कर दिया जायेगा।

'A'

(अतुल कुमार नायक) सदस्य, नीलामी समिति/अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर।	**(अनूप कुमार पाण्डेय)** सदस्य, नीलामी समिति/ सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर।	**(सुमित प्रेमी)** अध्यक्ष, नीलामी समिति/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर।

'A' Approved.
13/2/2025

संलग्नक – 1

जनपद न्यायालय, बलरामपुर।

पुराना न्यायालय परिसर में फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड की नीलामी वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए नियम व शर्तेः–

1– यह फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड की नीलामी दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक के लिए वैध होगी, जिसके लिए नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना आवेदन 27.02.2025 तक सांय 05 बजे तक केन्द्रीय नजारत अनुभाग जजी बलरामपुर में प्रस्तुत करना होगा।

2– फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड का ठेका की नीलामी की कार्यवाही दिनांक 28.02.2025 को सायं 04:30 बजे नवीन न्यायालय परिसर, बलरामपुर स्थित सभागार में सम्पादित होगी।

3– सम्बन्धित फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड का ठेका की पिछले वर्ष हेतु स्वीकृत धनराशि ही इस वर्ष नीलामी हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि होगी।

4– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व फोटो स्वप्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे सम्बन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिए दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी भी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

5– नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को पूर्व में न्यायालय परिसर में फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड का ठेका आवंटित किया गया था, उससे सम्बन्धित कोई भी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हें वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

6– ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रूपये 10000/– (दस हजार) की धनराशि जमा करनी होगी। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं आवंटित होता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।

7– नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को होगा।

8– माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है। किसी भी दशा में फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड का ठेका की नीलामी राशि वित्तीय वर्ष 2024–2025 की नीलामी राशि की तुलना में कम स्वीकार नहीं की जायेगी।

9– जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, वह नियत प्रारूप पर एक संविदा सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा।

10– आवंटी को ठेके की राशि का भुगतान निम्न रूप से करना होगा :–

(क) 10000/– नीलामी के पूर्व (जमानत धनराशि के रूप में)

(ख) कुल राशि के अवशेष का 10 प्रतिशत आवंटन के समय,

(ग) कुल राशि के अवशेष का 25 प्रतिशत दिनांक 30.06.2025 तक,

(घ) कुल राशि के अवशेष का 25 प्रतिशत दिनांक 30.09.2025 तक,

(च) कुल राशि के अवशेष का 25 प्रतिशत दिनांक 31.12.2025 तक,

(छ) संपूर्ण अवशेष धनराशि दिनांक 28.02.2026 तक

11– आवंटी किसी भी दशा में उसे आवंटित फोटो ग्राफी शेड और फोटो स्टेट शेड का ठेका को किसी अन्य को न ही स्थानान्तरित कर सकता है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे सकता है।

12– आवंटी को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा जितने क्षेत्रफल पर ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपनी ठेकों को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। यदि आवंटी किसी सहायक को रखकर अपना काम कराता है तो उसका आधार कार्ड की छायाप्रति पहचान पत्र के तौर पर जमा करेगा।

13– वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए आवंटित ठेकों का आवंटन दिनांक 31.03.2026 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जनपद न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्तकर्ता प्रत्येक आवंट द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण

कार्य आवश्यक हो तो जिला न्यायाधीश महोदय से पूर्व अनुमति लेकर ही करेगा जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा एवं उसे वह दिनांक 31.03.2026 तक आवंटित अवधि के पश्चात् उक्त स्थल से अपने व्यय से हटा लेगा। यदि आवंटियों द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आवंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके ठेके का आवंटन माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

14– आवंटी द्वारा सरकार/नगर निगम/अन्य स्थानीय निकायों को देय किसी भी कर/फीस/व्यय का भार स्वयं वहन किया जाएगा। इस हेतु न्यायिक प्रतिष्ठान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15– ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, बलरामपुर होगा।

उपरोक्त शर्ते माननीय जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर को अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

दिनांक:13.02.2025

(अतुल कुमार नायक) सदस्य, नीलामी समिति/अपर सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर।	**(अनूप कुमार पाण्डेय)** सदस्य, नीलामी समिति/ सिविल जज (प्रवर खण्ड) बलरामपुर।	**(सुमित प्रेमी)** अध्यक्ष, नीलामी समिति/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर।